न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 967/2024

अनवान : –

1. मैना पत्नी सुगनाराम जाति सुनार साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।
2. रामजीलाल पुत्र सुरजाराम जाति सुनार साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।
3. ताराचन्द पुत्र सुरजाराम जाति सुनारर साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. मनीदेवी पत्नी मनफुलराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 03/02/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 277/242 के ख0न0 86/4 की 0.8430 हैक्ट भूमि वादीया स0 1 व खाता स0 86/3 की 0.8430 हैक्ट भूमि वादी स0 2 व खाता स0 74/66 के ख0न0 86/5 की 0.8440 हैक्ट भूमि वादी संख्या 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 164/88 के ख0न0 86/2 की 2.5290 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 86 में वादीगण व प्रतिवादीगण की वाद भूमि का विभाजंन हो चुका है परंतु कब्जा काश्त के एवं आसापासा के मुताबिक नही हुआ है कब्जा काश्त को लेकर तनाजात रहता है परन्तु अब पक्षकारान में बाहमी राजीनामा हो चुका है जिसके मुताबिक रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 164/के ख0न0 86/2 की 2.5290 हैक्ट भूमि जिसमें वादी ताराचन्द की 0.840 हैक्ट भूमि तथा वादीया स0 1 की 0.8430 हैक्ट व वादी स0 2 की 0.8430 हैक्ट रहेगी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से की भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में से कम की जाकर शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रखा जावे। रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 217/191 के ख0न0 86/3 की 0.8430 हैक्ट भूमि व रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 74/66 के ख0न0 86/5 की 0.8440 हैक्ट भूमि की प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार रहेगी। रोही मौजा ढण्[illegible] नक्शा नजरी हाल ख0न0 83/6 व 86/4 व 86/5 में प्रतिवादी [illegible] ख0न0 86/2 में उत्तर में ताराचन्द, मध्य में मैना देवी व द[illegible] पास कब्जा के अनु[illegible]हेगा। वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:07:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

इसी अनुसार मुताबिक राजीनामा वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने जरिये अधिवक्ता वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी व नक्शा पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 86 में वादीगण व प्रतिवादीगण की वाद भूमि का विभाजन हो चुका है परंतु कब्जा काश्त के एवं आसापासा के मुताबिक नही हुआ है कब्जा काश्त को लेकर तनाजात रहता है परन्तु अब पक्षकारान में बाहमी राजीनामा हो चुका है जिसके मुताबिक रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 164/के ख0न0 86/2 की 2.5290 हैक्ट भूमि जिसमें वादी ताराचन्द की 0.840 हैक्ट भूमि तथा वादीया स0 1 की 0.8430 हैक्ट व वादी स0 2 की 0.8430 हैक्ट रहेगी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से की भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में से कम की जाकर शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रखा जावे। रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 217/191 के ख0न0 86/3 की 0.8430 हैक्ट भूमि व रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 74/66 के ख0न0 86/5 की 0.8440 हैक्ट भूमि की प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार रहेगी। रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नो[illegible] नजरी हाल ख0न0 83/6 व 86/4 व 86/5 में प्रतिवादी संख्या 1 के [illegible] 86/2 में उत्तर में ताराचन्द, मध्य में मैना देवी व दक्षिण में रामजीलाल के पास कब्जा के अनुसार रहेगा। प्रतिवादीगण द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:07:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किंया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीगण के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 277/242 के ख0न0 86/4 की 0.8430 हैक्ट भूमि वादीया स0 1 व खाता स0 86/3 की 0.8430 हैक्ट भूमि वादी स0 2 व खाता स0 74/66 के ख0न0 86/5 की 0.8440 हैक्ट भूमि वादी संख्या 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 164/88 के ख0न0 86/2 की 2.5290 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उक्त वाद भूमि बाबत हम पक्षकारान का बाहमी राजीनामा हो चुका है एवं मुताबिक राजीनामा रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 86 में वादीगण व प्रतिवादीगण की वाद भूमि का विभाजन हो चुका है परंतु कब्जा काश्त के एवं आसापासा के मुताबिक नही हुआ है कब्जा काश्त को लेकर तनाजात रहता है परन्तु अब पक्षकारान में बाहमी राजीनामा हो चुका है जिसके मुताबिक रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 164/188 के ख0न0 86/2 की 2.5290 हैक्ट भूमि जिसमें वादी ताराचन्द की 0.840 हैक्ट भूमि तथा वादीया स0 1 की 0.8430 हैक्ट व वादी स0 2 की 0.8430 हैक्ट रहेगी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से की भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में से कम की जाकर शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रखा जावे। रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 217/191 के ख0न0 86/3 की 0.8430 हैक्ट भूमि व रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 74/66 के ख0न0 86/5 की 0.8440 हैक्ट भूमि की प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार रहेगी। रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोर के नक्शा नजरी हाल ख0न0 83/6 व 86/4 व 86/5 में प्रतिवादी संख्या 1 के पास रहेगा तथा ख0न0 ख0न0 86/2 में उत्तर में ताराचन्द, मध्य में मैना देवी व दक्षिण में रामजीलाल के पास कब्जा के अनुसार रहेगा, वादी के उक्त कथनो को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है की वाद वादीगा मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 164/188 के ख0न0 86/2 की 2.5290 हैक्ट भूमि जिसमें वादीया स0 1 की 0.8430 हैक्ट भूमि का तथा वादीया स0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:07:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

2 को 0.8430 हैक्ट भूमि का व वादी स0 3 को 0.8430 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है तथा रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 277/242 के ख0न0 86/4 की कुल 0.8430 हैक्ट भूमि व खाता स0 217/191 के ख0न0 86/3 की 0.8430 हैक्ट भूमि व खाता स0 74/66 के ख0न0 86/5 की 0.8440 हैक्ट भूमि उक्त खातों में वादीगण का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को खतोदार काश्तकार घोषित किया जाता है व रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के नक्शा नजरी हाल ख0न0 86/3, 86/4, 86/5 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पास रहेगी व ख0न0 86/2 में उत्तर में ताराचन्द, मध्य में मैना देवी व दक्षिण में रामजीलाल के पास रहेगी। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में मुताबिक नक्शा तरमीम की जाकर अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03/02/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:07:58 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 967/2024
अनवान : –

1. मैना पत्नी सुगनाराम जाति सुनार साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।
2. रामजीलाल पुत्र सुरजाराम जाति सुनार साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।
3. ताराचन्द पुत्र सुरजाराम जाति सुनार साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. मनीदेवी पत्नी मनफुलराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 967 सन 2024 निर्णय दिनांक 03/02/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री मदन मोहन जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 164/188 के ख0न0 86/2 की 2.5290 हैक्ट भूमि जिसमें वादीया स0 1 को 0.8430 हैक्ट भूमि का तथा वादीया स0 2 को 0.8430 हैक्ट भूमि का व वादी स0 3 को 0.8430 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है तथा रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 277/242 के ख0न0 86/4 की कुल 0.8430 हैक्ट भूमि व खाता स0 217/191 के ख0न0 86/3 की 0.8430 हैक्ट भूमि व खाता स0 74/66 के ख0न0 86/5 की 0.8440 हैक्ट भूमि उक्त खातों में वादीगण का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को खतोदार काश्तकार घोषित किया जाता है व रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के नक्शा नजरी हाल ख0न0 86/3, 86/4, 86/5 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पास रहेगी व ख0न0 86/2 में उत्तर में ताराचन्द, मध्य में मैना देवी व दक्षिण में रामजीलाल के पास रहेगी। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में मुताबिक नक्शा तरमीम की जाकर अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 03/02/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:07:58 IST
Reason: SelfAttested